उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- अस्थाई वृत्त लो०नि०वि० गुप्तकाशी

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग के [illegible] भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	–	0.000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.420 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	0.245 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	0.735 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	1.400 हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	–	0.665 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने

के प्रपत्र/प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट

परियोजना का नामः–	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)		
क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	पेज न0	टिप्पणी
1. मुख्य सलंग्नक			
1.1	सक्षक अधिकारी /आन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	गुगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी अधिनियम 2006 का प्रमाण–पत्र मय सलंग्नकों के(नये प्रारूप में)	6	
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	–	–
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	–	–
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र।	7	
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीय हुए करार(पी0डी0एफ0)	8	
1.11	विस्तृत लागत–लाभ–विश्लेषण प्रमाण पत्र(यदि लागू हो)।		
2	**अतिरिक्त सलंग्नक**		
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	9	
2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10	
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।(प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	11	
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12	
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	13	
2.6	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	14	
2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे0 में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	15	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार–चार्ट।(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	16	
2.9	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(10 वर्ष दरें)।	–	–
2.10	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनस्थल उपर्युक्ता प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	–	–
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण–पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	–	–
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोण का प्राक्कलन।	17	
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित	18	

	वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र।		
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र(1 हे0 से कम में लागू)।	19	
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरिक्षत वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनो अलग–अलग बनायी जानी होगी।	20	
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	21	
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	22	
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	23	
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	24	
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	25	
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	–	
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	–	
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र।	26	
2.24	आम–सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	27	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले–आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	28	
2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि लागू हो तो)।	–	
2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	29	
2.28	भू–वैज्ञानिक की आख्या।	30	
2.29	टास्क–फोर्स रिपोर्ट।	31	
2.30	मानक शर्तों का विवरण।	32	
2.31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	32	
2.32	टास्क–फोर्स एवं भू–वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	33	
2.33	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र।	34	
2.34	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण–पत्र।	35	
2.35	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण–पत्र।	36	
2.36	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।	37	
2.37	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण–पत्र।	38	
2.38	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण–पत्र।	39	
2.39	वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण–पत्र।	– ~~40~~	
2.40	लीज अवधि का प्रमाण–पत्र।	40	
2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण–पत्र।	41	
2.42	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	41	
2.43	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र(अगर लागू हो)	42	
2.44	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।		

A-2.1

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)**

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 2503/III–2/06–37(प्रा0आ0)/06 दिनांक 20.09.2006 के द्वारा 5.00 किमी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 94.80 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग नगरासू–धनपुर–डांडाखाल मोटर मार्ग के किमी0 26 से प्रारम्भ होकर ग्राम काण्डा तक जायेगा। मार्ग के आरम्भिक 3 किमी0 पूर्व निर्मित हल्का वाहन मार्ग को मोटर मार्ग में बदलने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इससे आगे 2 किमी0 लम्बाई में नव निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जिसकी वन भूमि पत्रावली भारत सरकार द्वारा अधिक पेड आने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। मार्ग की महत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव अब 7 मीटर चौड़ाई में पेडों की गणना कर गठित किया गया है। मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा गांव को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मार्ग के नव निर्माण में 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, 0.420 है0 सिविल भूमि, 0.245 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.735 है0 नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांव के साथ–साथ ही लगभग 2500 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार–

वन पंचायत भूमि	–	0.000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	–	0.420 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	–	0.245 हेक्टेयर
नाप भूमि	–	0.735 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	–	**1.400 हेक्टेयर**
वांछित क्षेत्रफल	–	**0.665 हेक्टेयर**

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.665 है0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग

परिशिष्ठ

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	जनपद रूद्रप्रयाग के वि0ख0 अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	स्वीकृत लागत = रू0 94.80 लाख मात्र।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही सम्बन्धित मार्गों को जोडने हेतु एक मात्र विकल्प है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	0.003 लाख मानव दिवस।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	0.000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि। 0.420 हैक्टेयर सिविल वन भूमि। 0.245 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि 0.735 हैक्टेयर निजी / नाप भूमि
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
	क) परिवारों की संख्या	– शून्य
	ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	– शून्य
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	– शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	नहीं
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 9-05-2014
स्थान –रूद्रप्रयाग

(ई0 इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रस्ताव की कम संख्या..

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

18(A)

संख्या– /III–2/06–37(प्रा.आ.)/06

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 20 सितम्बर, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में 123(एक सौ तेईस) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 123 कार्यों के रूपये 14630.50 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 13779.48 लाख (रूपये एक सौ सैंतीस करोड़ उनासी लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणन को उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम–06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 32.20 लाख (रू0 बत्तीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

5. उपर्युक्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाये, एक मद का दूसरे मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

10. कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण वित्त अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शा0सं0–452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 एवं उनके द्वारा समय–2 निर्गत आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

12. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

15. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

16. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

17. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-591/XXVII(2)/2006 दिनांक 19 सितम्बर 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- 123 कार्यों की सूची।

भवदीय,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 503(1)/III-2/06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल।
5. मुख्य अभियन्ता, कुमायूं/गढ़वाल क्षेत्र, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/पौड़ी।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी० के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग

18(c)

88.	चौंडमन्या बमतोली मोटर मार्ग	10.00	231.[illegible]0	78.00	0.10
89.	बौल पटान–ग्वाल मोटर मार्ग सेतु सहित	10.00	275.21	217.48	0.10
90.	चौंडमन्या आमहाट मोटर मार्ग	4.00	92.40	71.20	0.10
91.	ताभाढोन–गोलना–खल्डूवा मोटर मार्ग का नवनिर्माण (मा0नु0नं0घो0)	12.00	293.52	213.60	0.10
92.	भिकियासैण (किनारी बाजार) गगास नदी में झूला पुल	70 मी0	77.51	77.50	0.10
93.	रक्षेश्वर महादेव गगास नदी पर झूला पुल	70 मी0	78.85	78.85	0.10
94.	गहगखाल–कुन्हील–तौलखुवानी मोटर मार्ग	17.00	411.66	[illegible]5.40	0.10
95.	देघाट–तुनीभार मोटर मार्ग किमी0 5 के पास विनोद नदी में पैदल पुल	30 मी0	41.00	[illegible]1.00	0.10
96.	घनेड़ा–शिलिंग मोटर मार्ग	15.00	304.80	257.00	0.10
97.	नरचूला–स्याल्दे–देघाट मोटर मार्ग के पैठाना–मैल तक डामरीकरण	22.00	466.40	466.40	0.10
98.	दौला–बाजार मोटर मार्ग का डामरीकरण (मा0मु0म0घो0)	7.00	122.50	122.50	0.10
99.	नागार्जुन–डहल–जालली मोटर मार्ग	13.175	258.75	234.51	0.10
100.	हरिद्वार रोड से गुरू रविन्द्रा माडल स्कूल से शेरगढ़ मार्ग तक डाम से होते हुए	2.00	33.40	33.40	0.10
101.	हरिद्वार रोड डेन्टल कालेज से शेरगढ़ बांध वाली लाइन से होते हुए चाण्डी तक	6.00	97.20	97.20	0.10
102.	रयूँगाड़ के ऊपर टॉनी से सैम मंदिर होते हुए [illegible]गली तक सी. सी. मार्ग	-	32.05	32.00	0.10
103.	पाण्डेगांव–भाकर मोटर मार्ग का नव निर्माण	4.00	71.20	71.20	0.10
104.	गुनियाला खाल से तुणजी–कलसीर मोटर मार्ग का निर्माण	[illegible].00	168.00	168.00	0.10
105.	जसोली से काण्डा इ0मा0 मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन / डामरीकरण	3.00	94.80	94.80	1.00
106.	चनी पुल–सिमखोली मोटर मार्ग	8.00	134.40	134.40	0.10
107.	मरोलीनाट मोटर मार्ग में बी.एम./एस.डी.बी.सी. द्वारा सुधारीकरण		169.20	169.20	1.00
108.	कुलूरी बैण्ड से सिलोनी तक मोटर मार्ग का सुधार कार्य	5.00	88.50	88.50	0.10
109.	सिन्दोली से खलखच्यारी तक मोटर मार्ग	5.00	110.43	89.00	0.10
110.	बागेश्वर शहर के मार्गों पर सिढ़ियों का सुधार कार्य		102.00	102.00	0.10
111.	देवनाई बाजार से रा0इ0का0 बनोली हेतु देवनाई गाड़ में झूला पुल निर्माण	42.00	52.50	52.50	0.10
112.	बागेश्वर में कन्यार–रीठाखाल– पल्कोटि– सिलकोट –पत्थरखानी मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	169.36	143.20	0.10
113.	गरूड़(ग्राम पंचायत मजकोट) के अन्तर्गत रक्षेश्वर मंदिर से घटगाड़ तक सीमेन्ट कंक्रीट पैदल मार्ग का निर्माण	2.00	15.53	15.50	1.00
114.	जाखणीधार विकास खण्ड के अन्तर्गत चौदाणा से [illegible] मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	5.00	81.00	81.00	0.10
115.	औनगढ़ से चमियासोड मुडक्यार्की मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.10
116.	जाखणीधार वि0ख0 के अन्तर्गत खोला से अगरोडा डिग्री कालेज मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	81.00	81.00	0.10
117.	जयराजखाल–खैडगॉव मल्ला एवं तल्ला मैल्याडी– रतस्यागा –शालसैंट–कामन्डई–भटगोली–रीठाखाल मोटर मार्ग का निर्माण	11.00	189.75	189.75	0.10
118.	बीरोखाल के अन्तर्गत बिरंगना हेतु मोटर मार्ग	6.00	103.50	103.50	0.10

Photo Copy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग, जनपद रुद्रप्रयाग

11(A)

ई. मेल :- dforudraprayag @gmail. Com
फोन/ फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता -: जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 1317 /12-1 दिनांक 26-12-/2014::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
रूद्रप्रयाग।

विषय:- **जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जखोली–काण्डा मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, लो0नि0वि0 के कर्मचारी व वन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। वन क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग रेंज द्वारा अपने पत्रांक 224/12–1 दिनांक 20.12.2014 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसकी प्रति संलग्न कर आपको अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,रूद्रप्रयाग।

11(B)

कार्यालय वनक्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज रूद्रप्रयाग

पत्रांक 2?? / 12–1 दिनांक . रूद्रप्रयाग, ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर 26 / 2014

सेवामें

श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी महोदय

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग

विषय – जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली – काण्डा मोटर मार्ग ल0 2.00 कि0मी0 के निर्माण हेतु 0.665 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ – आपकी पत्र संख्या – 1128 / 12–1(2) दिनांक 1–12–20014।

महोदय

उपरोक्त मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 10–12–2014 को याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री राहुल बिष्ट के साथ श्री जगदीश सिह उपराजिक एवं श्री दिनेशलाल वन वीट अधिकारी द्वारा भाग लिया मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षो की गणना सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(signature)

वनक्षेत्राधिकारी

रूद्रप्रयाग रेज रूद्रप्रयाग।

11(C)

Received
25/12/014
[signature]

सेवा में,

श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग रेंज

विषय- जसोली काण्डा मोटर मार्ग 2.00 किमी० निर्माण बावत

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग की पत्र सं० 1128/12-1(2) दि० 1-12-2014 एवं श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज की पत्रांक सं० 198/12-1 दि० 5-12-2014 के क्रम में,

महोदय,

निवेदन है, आज दि० 10-12-2014 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की तरफ से श्री जगदीश सिंह उपराजिक एवं श्री दिनेश लाल वीट अधिकारी (तथा) लो० नि० वि० की ओर से श्री राहुल विष्ट कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री गोविन्द सिंह कार्यअभिकर्ता, के द्वारा निरीक्षण में भाग लिया गया, संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 0.245 है० सिविल एवं सोयल वन भूमि 0.470 है० वन पंचायत भूमि 0.00 है. एवं नाप भूमि 0.735 है. प्रभावित होती है। प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है. तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है. प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची सलग्न है,

अतः सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

(margin:) ज्ञात संयुक्त निरीक्षण [illegible] [signature] वन क्षेत्राधिकारी रूद्रप्रयाग रेंज

[signature]
(गोविन्द सिंह)
कार्यअभिकर्ता
रूद्रप्रयाग
लो०नि०वि०
10-12-2014

[signature]
(राहुल विष्ट)
कनिष्ठ अभियन्ता
रूद्रप्रयाग
लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग
10-12-2014

[signature]
(दिनेश लाल)
वी० अ०
डोब
10-12-2014

[signature]
(जगदीश सिंह)
उपराजिक
डोब अनुभाग
दि० 10-12-2014

11(D)

सेवा में, श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय (रुद्रप्रयाग) रेंज रुद्रप्रयाग।

विषय:- [illegible] काण्डा मोटर मार्ग निर्माण [illegible] 2.00 कि०मी० का संयुक्त निरीक्षण बाबत्।

महोदय, [illegible] काण्डा मोटर मार्ग के अन्तर्गत अवस्थापित भूमि में बाधित होने वाले वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०	0-10 [illegible]	10-20 [illegible]	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 अधिक	योग
1-	[illegible]	चौड़	3	3	3	9	8	2	—	—	28
योग	—	—	3	3	3	9	8	2	—	—	28

महोदय, सूचना रिपोर्ट महोदय जी की सेवार्थ सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

(राहुल सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग
10-12-2014

(दिनेश लाल)
वी० अ०
[illegible]
10-12-2014

(जगदीश)
उपराजिक
[illegible] अगस्त्यमुनि
10-12-2014

सेवामें, श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय, (रुद्रप्रयाग रेंज)

विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जलोली कमाण्डा मोटर मार्ग कि०मी० 2.000 [illegible] का निर्माण हेतु 0.665 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण बाबत, बाधित होने वाले वृक्षों की

विषय जलोली कमाण्डा मोटर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत चिन्हित वन भूमि में संयुक्त निरीक्षण का विवरण निम्न प्रकार से है।

~~0-10~~ ब्लाक	~~10-20~~ प्रजाति	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	योग
[illegible] अगस्त्यमुनि ब्लाक	चीड़	3	1	1	1	–	2	2	1	11
–	–	3	1	1	1	–	2	2	1	11

अतः सूचना रिपोर्ट महोदय जी को सेवार्थ सादर प्रेषित है।

राहुल बिष्ट
कनिष्ठ अभियन्ता
रुद्रप्रयाग
लो०नि०वि०
Date- 10-12-2014

(दिनेश लाल)
वी०आ०

भवदीय
(जगदीश)
उपराजिक
डोबं अनुभाग
दि० 10-12-2.

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जसोली काण्डा मोटर मार्ग का नव निर्माण का तुलनात्मक विवरण

SNo.	Item	Alignment No. 1	Alignment No. 2
1	2	3	4
1	Main feathers & discreption of the alignment	This alignment shown Red ink in the map and it be will start from the Km 25 of Nagrasu-Dhanpur-Dandakhal Motor Road	This alignment shown Red ink in the map and it be will start from the Km 25 of Nagrasu-Dhanpur-Dandakhal Motor Road
2	Length of the alignment form starting point to terminal point.	2.00 Km	2.00 Km
3	**Geometries**		
	Gradient in different Stretches	0.00 to 0.650 in 1:20 up, 0.650 to 0.800 in 1:24 up,	0.00 to 0.500 in 1:18 up, 0.500 to 1.00 in 1:20 up,
4	Curves and Hair pin band	4 Nos	6 Nos
5	**Terrain & Soil condition**		Nil
a	**Geology of road**	Passing through E&B & H.S. in major statches and some statches in V H S.	Nil
b	**Road Passing through**		Nil
i	Mountainous terrain X-slope 35 to 60	Length of road passing through road slope 35 to 60	Nil
ii	Steep terrain in x-slope more then 60	Steep terrain in x-slope more then 250 mtr	Nil
iii	Rocky stretches with indication of length loose earthing stretches	Nil	Nil
iv	Area subject to avalanches & show clifts	Nil	Nil
v	**Nature of Soil**		Nil
a	Length of reaches with earth & boulders	1.050 Km	0.500 Km
b	Length of reaches with M.R. & M.S.	Nil	Nil
c	Length of reaches with O.R. & O.S.	0.600 Km	0.600 Km
d	Length of reaches with H.R. & H.S.	0.350 Km	0.900 Km
vi	Length of road passing through cliffis & georges	Nil	Nil
6	**Bridge requirement**		Nil
a	**Minor Bridge**	Nil	Nil
i	Total No.	Nil	Nil
ii	Rate of span	Nil	Nil
iii	Total waterways	Nil	Nil
b	**Major Bridges**	Nil	Nil
i	Total No.	Nil	Nil
ii	Rate of span	Nil	Nil
iii	Total waterways	Nil	Nil
7	**General elevation of raod**		Nil
i	Indicating max. & Min Height negociated by main ascends & decends	Approx 600 mtrs	Nil
ii	Total ascends & decends	2 decends	2 decends
8	**Right of ways**	Private land, Civil land & Reserve forest land	Private land, Civil land & Reserve forest land

12(A)

SNo.	Item	Alignment No. 1	Alignment No. 2
a	**Approximate of area & values**		Nil
i	**Cutivatied land**	Nil	Nil
a	Irrigated land	Nil	Nil
b	Unirrigated land	0.735 Ha	0.35 Ha
iii	civil forest	0.420 Ha	0.420 Ha
iv	reserve forest	0.245 Ha	0.63 Ha
9 (a)	Existing mean of item communication mules path jeep etc.	Footpath	Nil
b	Relation of proposed alignment with	This road will connect Kanda Village	This road will connect Kanda Village
10 (a)	Availability of road constuction materials	Stone are availabe but sand will be cart form other side	Stone are availabe but sand will be cart form other side
b	Location of quarries	For Stones loaclly available, for sand from Srinagar	For Stones loaclly available, for sand from Srinagar
c	Average lead	For stone 1 Km & sand from Srinagar	For stone 1 Km & sand from Srinagar
11	**Facilities resources**		
a	Landing grodd	Nil	Nil
b	Dropping zone	Nil	Nil
c	Labour	Locally available	Locally available
d	Food stuffs	Orange, Rices, Pulses in very small quantities	Orange, Rices, Pulses in very small quantities
e	Construction material like timber, bamboo & stones shingle in extent of their availibility and Load in	Local timber like Chir wood, and stone are available loacally, sand from Srinagar and other material are available at Rishikesh.	Local timber like Chir wood, and stone are available loacally, sand from Srinagar and other material are available at Rishikesh.
12	**Climatic Condition**		
a	Temperature Max. & Min	Max. 30 and Min. 5	Max. 30 and Min. 5
b	Rainfall datas average annual peak enter stics monthly distribution in the extent abailable of road covered by snow. (average period)	Rainfall datas are not available, road not covered by snow.	Rainfall datas are not available, road not covered by snow.
c	Wind direction	East to west in rainy season & west to east in remaining season.	East to west in rainy season & west to east in remaining season.
d	Fog conditions	Fog remains during rainy and winter season	Fog remains during rainy and winter season
e	Expose to Sun	Full alignment is exposed to Sun	Full alignment is exposed to Sun
13	Drainage characteristics of the indicating us to damage.	Being mountaineous terrian drainage charctherstic are good and abnormal damages are not anticipated.	Being mountaineous terrian drainage charctherstic are good and abnormal damages are not anticipated.
14	Length of the land slide.	Nil	Nil
15	Length of the unstable area.	Nil	Nil
16	Length of heavy alearing	Nil	Nil
17	Length of the Marshy effected area.	Nil	Nil
18	Length of the portion loose rocks	Nil	Nil

12(B)

SNo.	Item	Alignment No. 1	Alignment No. 2
19	Period required for construction	**one year**	**one year**
20	Vegetation extent and type.	Orange, Wheat, Potato, Rice, Rajma, Pulse etc.	Orange, Wheat, Potato, Rice, Rajma, Pulse etc.
21	**Critical as specified**		
i	Village on or within 2 Km of the alignment.	Kanda Village	Kanda Village
ii	1.00 Km to 1.5 Km of the alignment	-	-
22	Startegie conditions	Nil	Nil
23	Population surved by the alignment	About 175 approx.	About 175 approx.
24	Recreational potetial	Nil	Nil
25	Scope of agriculture & Horticulture development	Fruit belt can be developed	Fruit belt can be developed
26	Extent of forest wealth	Nil	Nil
27	Prospects of development of minor or major project being taken up	Nil	Nil
28	Approximate cost of construction of each alignment.	Rs. 18.90 Lacs (First Phase)	Rs. 18.90 Lacs (First Phase)
29	Merits & Demerits	1. Cost of construction is minimum.	1. Cost of construction is Maximum.
		2. No bridge required in this alignment.	2. No bridge required in this alignment.
		3. Loose rockey portion is less in this alignment.	3. Loose rockey portion is more in this alignment.
		4. Village Beena will be connected in this alignment.	4. Village Beena will be connected in this alignment.
		5. Road will be passing through V.H.R. & V.H.S. in short length.	5. Road will be passing through V.H.R. & V.H.S. in short length.
		6. Less Reserve forest land exist in this alignment.	6. More Reserve forest land exist in this alignment.
		7. Area of irrigated land is minimum in this alignment.	7. Area of irrigated land is maximum in this alignment.
		8. Foru Nos H P band	8. Six Nos of H P band
30	Any other usefull information, any important project etc.	Maximum public are satisfied in this alignment.	Minimum public are satisfied in this alignment.
31	Recommendation of E.E. with reasion.	Keeping all the point in new and considering the merits and demerits of the different alignment. alignment no. 1 which is shown in Red ink in the map is most suitable and serving more population easy to construction. Hence this alignment no. 1 is recommanding for approved.	

J.E. A.E. E.E.

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का प्रमाण–पत्र।

प्रस्तावित परियोजना हेतु वन भूमि की कुल लम्बाई 950 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर , 6650 वर्ग मीटर अर्थात 0.665 हे0 है।

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

A - 2.8

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

वारचार्ट

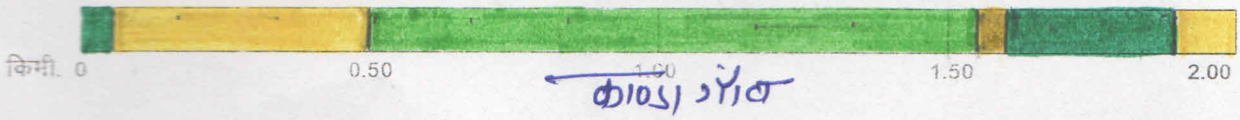

किमी0 चैनेज	भूमि का प्रकार	लम्बाई	संकेत
0.000 से 0.050	आरक्षित	50 मीटर	
0.050 से 0.500	सिविल	450 मीटर	
0.500 से 1.550	नाप	1050	
1.550 से 1.600	सिविल	50 मीटर	
1.600 से 1.900	आरक्षित	300 मीटर	
1.900 से 2.000	सिविल	100 मीटर	

आरक्षित वन भूमि	0.000 है0
सिविल एवं सोयम वन भूमि	0.420 है0
वन पंचायत भूमि0	0.245 है0
नाप भूमि	0.735 है0

Rahul
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रूद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

Rahul		
कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली--काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

Rahul
J.E

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

Muck Disposal cross

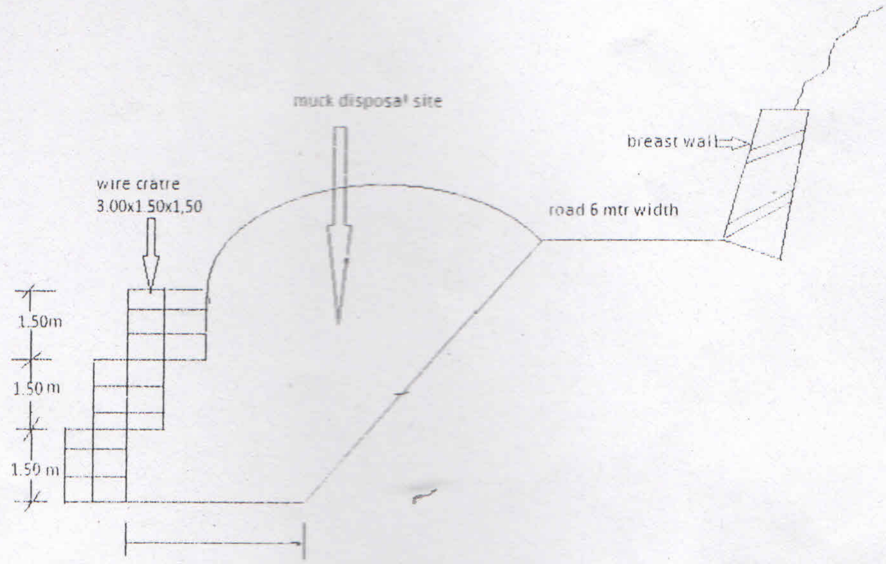

Rahul

परियोजना का नामः— जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली—काण्डा मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई 2.00 किमी0)।

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Khasara No.	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	X/S	कुलसिराम	167,177,178	0.070	3.00	2100	79°3'57.99"E 30°16'41.11"N
2.	X/S	शिवप्रसाद	544,545	0.020	3.00	600	79°3'57.99"E 30°16'41.11"N
3	X/S	भगवती प्रसाद	1036,1056,1178	0.0041	3.00	123	79°3'54.24"E 30°16'41.65"N
4	X/S	बेरीधर	403,404,405	0.18	3.00	5400	79°3'54.24"E 30°16'41.65"N
						8223	

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि/निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम :– भगवती प्रसाद

ग्राम :– काण्डा

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री भगवती प्रसाद पुत्र श्री नागदत्त ग्राम कांडा पटवारी वृत्त ______________ जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
1	16/1036	0.0021
2	16/1056	0.0015
	16/1178	0.005
	योग :–	0.0041

राजस्व उप निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि/निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम :– बन्शीधर

ग्राम :– का0/05/

कास सैक्शन ________________ पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री बन्सीधर ________________ पुत्र श्री ________________ गीताराम ग्राम कान्डा ________________ पटवारी वृत्त, ________________ जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
1	14/403	0.05
2	14/404	0.050
	14/405	0.08
	योग :–	0.18

राजस्व उप निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि/निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, [illegible] विभा[illegible] दरों पर [illegible] भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम : शिवप्रसाद

ग्राम : काण्डा

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु कास्तकारों श्री शिव प्रसाद .... पुत्र श्री तोताराम .... ग्राम काण्डा .... पटवारी वृत्त, ... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
1	3/544	0.010
2	3/545	0.010
	योग :–	0.020

राजस्व उप निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि/निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम [illegible, handwritten signature]

ग्राम :–

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारो श्री [illegible, handwritten] पुत्र श्री जगत राम ग्राम [illegible, struck through] काण्डा पटवारी क्षेत्र .... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता/खसरा नम्बर	भूमि (हैक्टेयर में)
1	241984	0.009
2	241985	0.036
	241586	0.016
	योग :–	0.061

राजस्व उप निरीक्षक [signature]

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 कि0मी0) हेतु जो भूमि / निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है [illegible] प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति [illegible] पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम : दिनेश चन्द्र

ग्राम : काण्डा

क्रास सैक्शन ________ पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री दिनेश चन्द्र ________ पुत्र श्री सुरेशानन्द ________ ग्राम काण्डा ________ पटवारी क्षेत्र ________ जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हैक्टेयर में)
1	9/398	0.054
2	9/399	0.016
	9/483	0.019
	9/466	0.028
	योग :–	0.117

राजस्व उप निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जरोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि/निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हैं।

भवदीय

नाम राजेन्द्र प्रसाद

ग्राम :– काण्डा

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री राजेन्द्र प्रसाद .... पुत्र श्री चिन्तमणी ....
ग्राम काँडा .... पटवारी वृत्त, ... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हैक्टेयर में)
1	23/173	0·030
2	23/409	0·021
	23/405	0·019
	23/464	0·011
	23/465	0·020
	23/466	0·023
	योग :–	0·124

राजस्व उप निरीक्षक

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित मोटर मार्ग जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।(लम्बाई 2.00 किमी0) हेतु जो भूमि / निर्माण मकडिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम :– तुलसीराम

ग्राम :– काण्डा

क्रास सैक्शन .... पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकारों श्री ~~[illegible]~~ तुलसी राम .... पुत्र श्री लक्ष्मण .... ग्राम कांडा .... पटवारी वृत्त, ... जिला रूद्रप्रयाग के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है :–

किमी0	खाता / खसरा नम्बर	भूमि (हेक्टेयर में)
1	31/167	0.035
2	31/177	0.025
	31/178	0.010
	योग :–	0.070

राजस्व उप निरीक्षक [signature] रतूड़ा

डिजिटल मैप– जनपद रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अर्न्तगत जसौली–काण्डा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
(लम्बाई 02.00 किमी0)

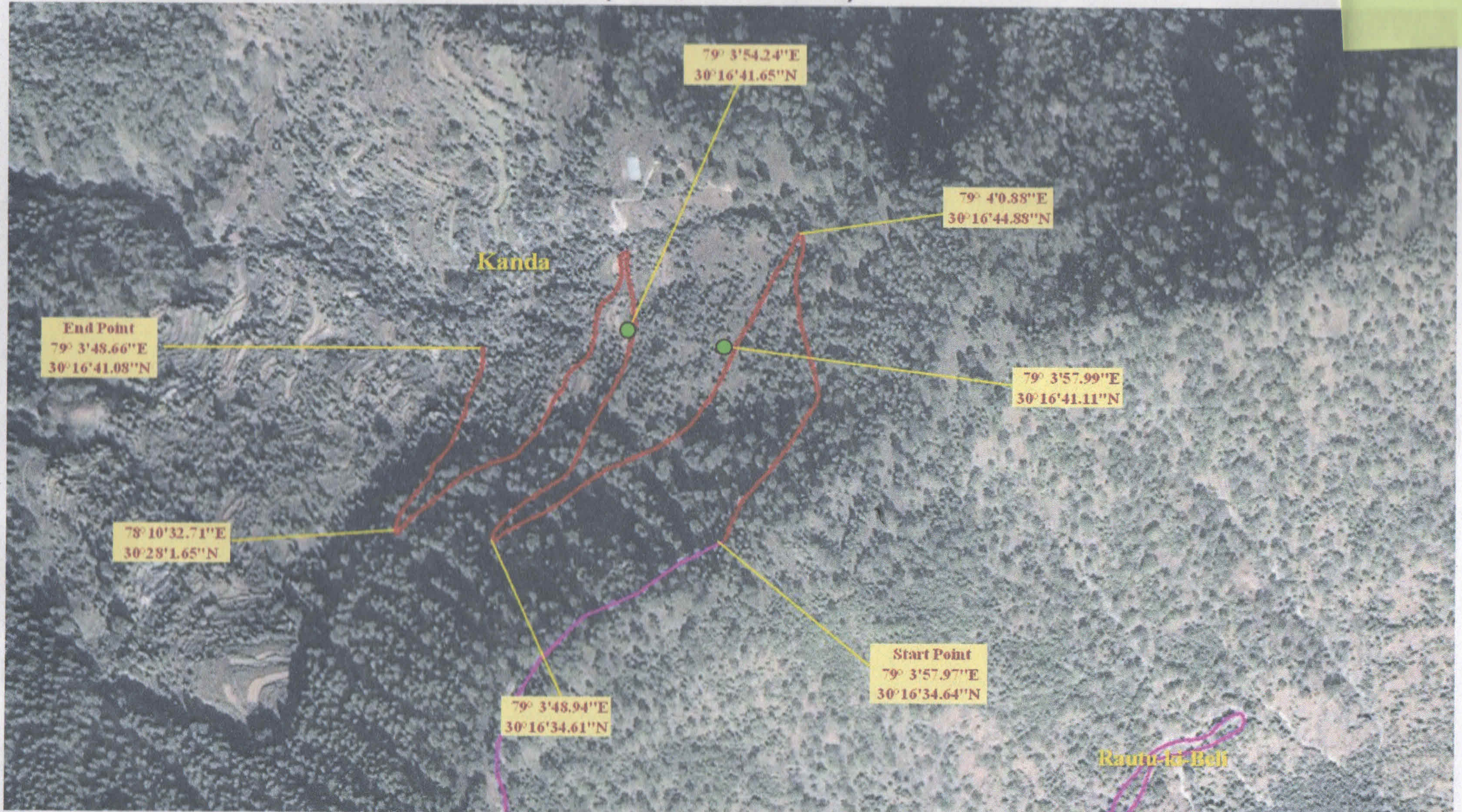

Legend
- Muck Disposal
- Proposed Road
- Existing Road

J.E